भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 156

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

घरेलू कामगारों का कल्याण

***156. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः**

श्रीमती साजदा अहमदः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में घरेलू कामगारों का कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू कामगारों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा घरेलू कामगारों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनमें जागरुकता पैदा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उत्तरपूर्व से महानगरों और कस्बों में अवैध रूप से लाए गए घरेलू कामगारों के शोषण से संबंधित बढ़ती शिकायतों से अवगत है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) सरकार द्वारा देश भर में घरेलू कामगारों के शोषण, उनकी कम मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा न होने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार पंजीकृत घरेलू कामगारों का डेटाबेस रखती है, यदि हां, तो उसका शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का घरेलू कामगारों को मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे में शामिल करने या उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कानून बनाने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(झ) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों को शोषण से बचाने और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विनियमित करने हेतु एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (झ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"घरेलू कामगारों का कल्याण" के संबंध में श्री जी. एम. हरीश बालयोगी और श्रीमती साजदा अहमद द्वारा दिनांक 10.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 156 के भाग (क) से (झ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (झ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो ने बहु-स्तरीय नमूना डिजाइन (मल्टी स्टेज सैंपलिंग डिजाइन) के आधार पर घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। फील्ड वर्क संबंधी सर्वे को पूरा किया जा चुका है।

सरकार, घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय कर रही है, जैसे (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए क्रमशः जीवन और निःशक्तता कवर, (ii)वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम), (iii)द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), (iv) आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आदि। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डीडब्ल्यूएसएससी) द्वारा घरेलू कामगारों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकारें इस संबंध में अपनी स्वयं की नीति/अधिनियम बनाकर निजी प्लेसमेंट (निजी नियोजन) एजेंसियों के कार्य संचालन को विनियमित करती हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के पंजीकरण के लिए यह पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक 04.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार घरेलू कामगारों सहित 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पर पंजीकृत किए जा चुके हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बजट घोषणा, 2024-25 के विजन को ध्यान में रखते हुए, असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के लिए, दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया है। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैपिंग किया जा चुका है, जिनमें प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किया गया है। इसमें घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए अधिदेशित किया गया है।

*****